हिंदी विवेक
WE WORK FOR A BETTER WORLD
Issue : 02 - 08 August 2026

विधेयकों पर संसद की मुहर

पितांबरी®
हेल्थकेअर डिवीजन
गोमूत्र प्लस कॅप्सूल्स
गोमाता का स्वास्थ्यवर्धक वरदान !
पितांबरी
हेल्थकेअर डिवीजन
आयुर्वेद में पहली बार
गोमूत्र प्लस
त्रिफला युक्त
१०×१० कॅप्सूल्स | जी.एम.पी. प्रमाणित
Product of India
गोमूत्र प्लस के लाभ
•कब्ज, हृदयरोग, मधुमेह जैसी बीमारियों में लाभदायक
•शरीर डिटॉक्स करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वजन को नियंत्रित रखता है
•कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में फायदेमंद
•अनचाही गंध और स्वाद नही
गोमूत्र + त्रिफला (आंवला + बहेड़ा + हरीतकी) = गोमूत्र प्लस कॅप्सूल
भारतीय गोमूत्र को अमेरिका में भी मिला पेटंट।
फ्री सैम्पल
FREE SAMPLE
कोड स्कॅन करें
४ कॅप्सूल्स का
फ्री सैम्पल पाए
डॉ. रविंद्र प्रभुदेसाई जी के
स्वानुभव पर आधारित
इंटरव्यू के लिए
कोड स्कॅन करें
Pitambari Products Pvt. Ltd.: Contact: 9028181859 / 9403130410, CRM: 022-6703 5564 / 5699,
Toll Free: 18001031299 | Shop Online: www.pitambari.com/shop | CIN: U52291MH1989PTC051314

अनुक्रमणिका

◆ देशहित पर मंडराते प्रश्न	डॉ. श्यामकांत देशपांडे	04
◆ परिसीमन-महिला आरक्षण पर विपक्षी रणनीति	आशीष कुमार 'अंशु'	06
◆ म.प्र. ने खोला समानता का नया अध्याय	दीपक कुमार द्विवेदी	08
◆ विश्व-मित्र की जीवंत संकल्पना	अर्जुन आनंद	11
◆ चेहरे पर ये कैसा दाग!	डॉ. कृष्णा नंद पांडेय	13
◆ साधना, उत्सव व संस्कृति का आध्यात्मिक महापर्व	डॉ. अन्नपूर्णा बाजपेयी आर्या	15
◆ काहे को डारो रे अमवा में झूला...	निहारिका पोल सर्वटे	18
◆ ओटीटी पर सरकार के बंधे हाथ	विष्णु शर्मा	20
◆ महान शासक सम्राट राजा कृष्णदेव राय	वेद प्रकाश पांडे	22
◆ राष्ट्रमंडल खेल और भारत	राजीव रोहित	25
◆ चूड़ियों की खनखनाहट भी कुछ कहती हैं	स्निग्धा अवतंस	25
◆ अजब-गजब	संकलन	26
◆ इधर भी देखें	संकलन	28
◆ समाचार	-	29

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

पंजीयन शुल्क

वार्षिक मूल्य : 500 रुपये, त्रैवार्षिक मूल्य : 1200 रुपये
पंचवार्षिक मूल्य : 1800 रुपये, आजीवन मूल्य : 25,000 रुपये

कार्यालय : प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर-10, सेक्टर-2,
श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप,
कांदिवली (पश्चिम), मुंबई- 400067. सम्पर्क : 9594991884

डॉ. श्यामकांत देशपांडे

इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान कई बिल तो पास हुए, लेकिन कई बिलों के पास होने में विरोधियों द्वारा अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की मंशा और लाभ-हानि क्या है, जानते हैं इस आलेख में।

देशहित पर मंडराते प्रश्न

संसद का मानसून सत्र 2026 एफसीआरए वर्तमान मानसून सत्र जिसमें अनेक लोक-उपयोगी विधेयकों के अलावा विदेशी योगदान संशोधन 2026 (एफसीआरए) आयकर संशोधन 2026, पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अन फेअर मीन्स) सुप्रीम कोर्ट (नंबर ऑफ जजेस संसोधन बिल), राष्ट्र गीत वंदे मातरम् के गायन में बाधा डालने से सम्बंधित विधेयक, जन्म मृत्यु के विलम्बित प्रकरण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास से सम्बंधित बिल पारित कराए जाने हैं। कुछ ऐसे बिल हैं जो विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने पारित करा लिया है। इसमें मुख्य रूप से एफसीआरए, विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक बिल जो पूर्व में 25 मार्च तथा 22 जून को भी प्रस्तावित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से स्वीकृत नहीं हो पाया, जिसका विरोध कांग्रेस, वाम दल, सीपीएम और कुछ क्षेत्रीय दल भी कर रहे हैं। इसमें सरकार का पक्ष स्पष्ट है कि उन्हें यह जानने का पूरा अधिकार है कि इस धन का उपयोग राष्ट्रविरोधी कार्यों में न हो तथा इसमें पूरी पारदर्शिता लाकर देश की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इन संस्थानों या एनजीओ की है। अतः राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और धर्मांतरण हेतु मिलने वाले फंड को रोकना देशहित में आवश्यक है। अनधिकृत उपयोग होने पर इस धन से बनी सम्पत्ति पर सरकार सख्ती बरतते हुए उसे अपने कब्जे में ले सकती है। राजनीतिक विरोधी दल इसे अल्पसंख्यक संस्थाओं, सिविल सोसाइटी के मूल अधिकारों पर कुठाराघात मानते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि इसकी गूंज दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक दिखाई दे रही है? इसमें एक तथ्य यह भी है कि इस कानून के प्रभाव में आने से कुछ कथित पत्रकारों और एनजीओ के वित्तीय स्रोत बंद होने की सम्भावना है और यही इस विरोध का मुख्य कारण भी है। इन सामाजिक कार्यक्रमों और हर कार्य के लिए निर्धारित फीस का भुगतान करने से पहले किसी भी एनजीओ को स्पष्ट रूप से यह बताना पड़ेगा कि इस धन का उपयोग वे किस सामाजिक, शिक्षा सम्बंधी, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है तथा 2 वर्ष में किए गए खर्च का पूरा ब्यौरा देना आवश्यक होगा। वे आवश्यक रूप से अपने से सम्बंधित मीडिया खाते, प्रकाशन, नए कानून में उन्हें शासन से स्वीकृति पत्र लेना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर उन्हें कार्य पद्धति से बाहर किया जा सकता है, हालांकि अपराधी होने पर सजा को 5 साल से 1 साल किया गया है और उनकी सम्पत्ति को भी जब्त किया जा सकता है, जिसमें अपील की कोई व्यवस्था नहीं है। गृह मंत्रालय के अनुसार 13,520 संस्थानों ने भारत में 55,741 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। आप सोच सकते है कि इसका लागू होना कितना आवश्यक है? हमारे पास विदेशी

धरती से किए जा रहे अपराधों की लम्बी सूची है। यदि इसका उपयोग देशहित के कार्यो में न होकर अन्य कार्य में किया जा रहा हो तो यह देशविरोधी है। संसद भारतीय जनता का सबसे बड़ा शस्त्र है। इस देश में पूर्व में भी बड़े राजकीय परिवर्तन, न्याय की अभिरक्षा, संसद के कार्यकलापों से ही सम्भव हुई है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह भवन 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिम्ब है। दूसरा प्रमुख मुद्दा था नीट की परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला। इसके राजनीतिक उद्देश्यों में मूल रूप से विरोधियो में जेन-जी युवा आंदोलनों के प्रभाव से नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में सरकार का बदलना था। यह एक तथ्य है कि भारत में इससे हजारों छात्रों, उनके अभिभावकों के दर्द, उनकी कुंठा से प्रभावित लोगों के दर्द को हम समझ सकते हैं और इस संदर्भ में सरकार शीघ्र ही अत्यंत कड़े कानून तैयार कर ली है, जो इसी सत्र में प्रस्तावित है। जिसमें कड़ी सजा तथा आर्थिक दंड का प्रावधान रखने के लिए सरकार ने बिल बनाया है, लेकिन अमेरिका से आए किरण दिपके ने रातों-रात एक कॉक्रोच दल बनाकर नीट परीक्षा से व्यथित छात्रों को एकत्र किया। इसके राजनीतिक क्या कारण हैं, यह तो हमें भविष्य ही बताएगा, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा अचानक भारत आकर अनेक छात्रों को इसके प्रभाव में लाना अत्यंत संशयात्मक प्रश्न खड़े करता है। इसमें कई प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं है, जैसे इसके प्रचार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप फेक तकनीक का प्रयोग अधिक हद तक क्यों किया गया, जो एक हथियार की तरह प्रयोग किया गया। आंदोलन का खर्चा किसने किया, छात्रों के साथ इतने अधिक अपराधिक तत्व के लोग कहां से आए? इसमें कई तो हत्या जैसे अपराधिक मामलों में संलिप्त भी थे। मामले की गम्भीरता को देखते हुए सरकार गूगल, मेटा तथा एक्स को भी कानून के दायरे में लाने के लिए प्रयत्नशील है।

राजनीतिक लाभ सभी राजनीतिक दलों के लिए धन संग्रह जैसा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे राजनीतिक आंदोलनों से क्या लाभ हो सकता है? सोनम वांगचुक नीट, यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक और धांधली के विरुद्ध खड़े हुए थे, लेकिन सभी विरोधी पार्टियों का इस पर इकठ्ठा होना, तोड़-फोड़ करना, पत्थरों से भरे ट्रक लाना, अनेक पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट करना, सामान्य नागरिको की शांति भंग करने का तंत्र भी सामने आया है, जिसके लिए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग हुआ है।

●●●

हंगामा

आशीष कुमार 'अंशु'

विपक्षी दल (कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना यूबीटी आदि) एकजुट होकर कई बिलों का विरोध कर रहे हैं। उनकी रणनीति में शामिल हैं- सदन में हंगामा, वॉकआउट, अन्य मुद्दों (जैसे पेपर लीक, राष्ट्रीय मुद्दे) पर चर्चा की मांग और परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ने का विरोध वे चाहते हैं।

परिसीमन-महिला आरक्षण पर विपक्षी रणनीति

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चल रहा है। कुल 19 बैठकों वाले इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने और पारित कराने की तैयारी में है। सत्र की शुरुआत हंगामे और व्यवधानों से हुई, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कहा है कि तय समयसीमा के भीतर आवश्यक विधेयकों पर चर्चा कराकर उन्हें पास करा लिया जाएगा। इस सत्र में आर्थिक सुधार, न्यायिक क्षमता, विदेशी चंदे के नियम, शिक्षा और उद्यमिता से जुड़े बिल प्रमुखता से शामिल हैं। साथ ही, परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे संवैधानिक मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में हैं, हालांकि इन्हें आधिकारिक एजेंडे में अभी जगह नहीं मिली है।

सत्र में पास होने वाले अन्य प्रमुख बिल

सरकार इस सत्र में निम्नलिखित विधेयकों को पेश और पारित कराने की तैयारी कर रही है। इनमें से कई पहले से लम्बित हैं या अध्यादेशों की जगह ले रहे हैं।

विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (2026): यह बिल विदेशी चंदे से जुड़े नियमों को और सख्त तथा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें उन संगठनों के विदेशी योगदान और सम्पत्तियों की निगरानी, प्रबंधन व निपटान का ढांचा तैयार करने का प्रावधान है जिनका एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द हो चुका है। उल्लंघन पर अधिकतम सजा को घटाकर एक वर्ष करने का भी प्रस्ताव है। सरकार का लक्ष्य विदेशी धन के

दुरुपयोग पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना है।

आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026: यह वर्तमान अध्यादेश की जगह लेगा। इसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय पर कर छूट देने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इससे भारत के सॉवरेन डेट मार्केट को मजबूती मिलेगी, वैश्विक पूंजी आकर्षित होगी और बाजार की तरलता सुधरेगी।

सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026: यह अध्यादेश आधारित बिल है, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान करता है। लम्बित मामलों (लगभग 94,000) को देखते हुए न्यायिक क्षमता बढ़ाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। बिल को सरल बहुमत से पास किया जा सकता है।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026: देश में जन्म-मृत्यु के डिजिटल पंजीकरण प्रमाणपत्रों से सम्बंधित नियमों को अपडेट करने और विलम्बित पंजीकरण को और सख्त बनाने का उद्देश्य है। यह नागरिक पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहायता करेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 : छोटे और मध्यम उद्योगों में व्यापार के नियमों को आसान बनाने के साथ-साथ समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के नियमों को कड़ा किया गया है। विलम्बित भुगतानों के समाधान तंत्र को मजबूत करने और राज्यों को सूक्ष्म व लघु उद्यम सुविधा परिषद की संरचना तय करने का अधिकार देने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधरेगा।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025: यह शिक्षा से जुड़ा बिल वर्तमान में दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास है। इसमें यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को एक एकल नियामक से बदलने का प्रस्ताव है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा में सुधार लाएगा।

सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के अनुसार विपक्षी हंगामे के बाद भी सूचीबद्ध सभी आवश्यक विधेयकों को 13 अगस्त तक चर्चा कराकर पारित करा लिया जाएगा। कुछ अन्य बिल जैसे सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन भी चर्चा में रहे हैं।

परिसीमन और महिला आरक्षण बिलः असली मसला और अंकगणित

परिसीमन बिल और महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) से जुड़े संवैधानिक संशोधन सबसे संवेदनशील मुद्दे हैं। 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी हैं, लेकिन इसका लागू होना जनगणना और परिसीमन पर निर्भर है। अप्रैल 2026 में सरकार ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, परिसीमन बिल और सम्बंधित बिल पेश किए थे, जिसमें लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने और 2029 तक आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव था। तब एनडीए के पास 298 सीटें थीं और बिल दो-तिहाई बहुमत न मिलने से गिर गया।

संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत चाहिए। 543 सीटों में से कुछ खाली होने पर लगभग 360 वोट आवश्यक हैं।

अप्रैल के बाद राजनीतिक समीकरण बदले: टीएमसी के करीब 20 सांसद एनडीए में शामिल हुए, शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे गुट में विलय हो गए और आप के कुछ सांसद भी समर्थन में आए। अब एनडीए के पास लगभग 329 सांसद बताए जाते हैं, अभी भी 30-40 वोट कम हैं। सरकार को बाहरी दलों से समर्थन जुटाना होगा। सरकार ने अभी तक डिलिमिटेशन बिल को आधिकारिक एजेंडे में नहीं डाला है। 20 जुलाई को जारी सूची में इसकी चर्चा नहीं थी। विशेषज्ञों का मानना है कि नम्बरों का विश्वास होने तक बिल नहीं लाया जाएगा। यदि समर्थन नहीं जुटा तो इसे वापस लेकर विंटर या विशेष सत्र की प्रतीक्षा की जा सकती है। दक्षिण राज्यों (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि) का डर है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से उनका प्रतिनिधित्व घटेगा, जबकि उत्तर के अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को लाभ होगा। सरकार का दावा है कि सभी राज्यों की सीटें समानुपातिक रूप से बढ़ाई जाएंगी और दक्षिण का हिस्सा नहीं घटेगा।

कुल मिलाकर मानसून सत्र विधायी सुधारों और राजनीतिक टकराव दोनों का मंच बन गया है। सरकार संख्या बल पर जोर दे रही है तो विपक्ष एकजुटता और मुद्दों को भुनाने के प्रयास में हैं। ●●●

यूसीसी

दीपक कुमार द्विवेदी

मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित यूसीसी विधेयक केवल कानूनी सुधार नहीं बल्कि परिवार को अधिक पारदर्शी, महिलाओं को अधिक सुरक्षित, नागरिक अधिकारों को अधिक स्पष्ट और न्याय व्यवस्था को अधिक सरल बनाने का प्रयास भी है।

जुलाई 2026 में मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) विधेयक पारित कर एक ऐसा निर्णय लिया है, जिसकी चर्चा केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश की संवैधानिक और सामाजिक व्यवस्था पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। इस निर्णय के साथ मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला चौथा राज्य बन गया है। लम्बे समय से यह प्रश्न उठता रहा कि जब भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है, तब विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे नागरिक विषयों में अलग-अलग कानून क्यों लागू हों। मध्य प्रदेश विधानसभा का यह निर्णय इसी प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर प्रस्तुत करता है।

यदि यूसीसी को बिल्कुल सामान्य भाषा में समझें तो इसका अर्थ है एक ही राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए परिवार और नागरिक जीवन से जुड़े मामलों में एक समान कानून अर्थात किसी व्यक्ति का धर्म कोई भी हो, विवाह के नियम, तलाक की प्रक्रिया, पैतृक सम्पत्ति में अधिकार, बच्चे को गोद लेने की व्यवस्था तथा भरण-पोषण से जुड़े अधिकार समान होंगे। इसका किसी की पूजा-पद्धति, धार्मिक आस्था या धार्मिक परम्पराओं से कोई सम्बंध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन पहले की तरह करता रहेगा। परिवर्तन केवल उन विषयों में किया गया है जिनका सम्बंध नागरिक अधिकारों और कानूनी व्यवस्था से है।

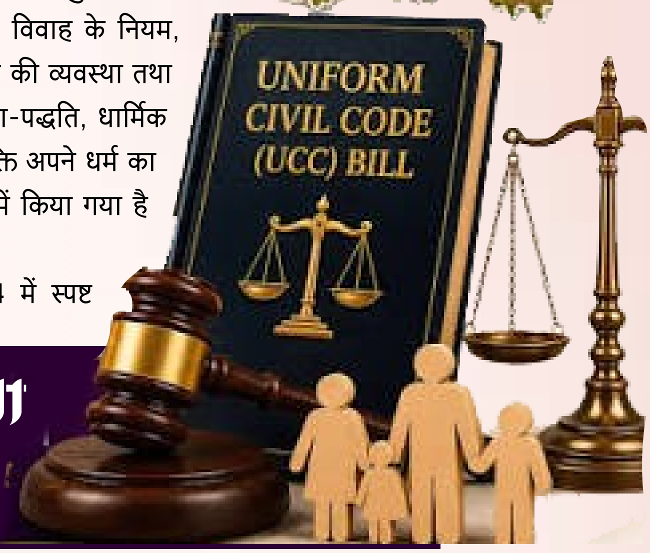

म.प्र. ने खोला समानता का नया अध्याय

भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। संविधान सभा में भी इस विषय पर गम्भीर चर्चा हुई थी। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि समय के साथ भारत में ऐसी व्यवस्था बने जहां कानून नागरिक की धार्मिक पहचान नहीं बल्कि उसके संवैधानिक अधिकारों को आधार बनाए। स्वतंत्रता के बाद यह विषय लम्बे समय तक चर्चा में रहा, किंतु व्यवहार में पहला कदम उत्तराखंड ने उठाया। उसके बाद गुजरात और असम ने अपने-अपने स्तर पर समान नागरिक संहिता की दिशा में पहल की। अब मध्य प्रदेश ने इस विचार को विधायी रूप देकर देशव्यापी विमर्श को नई गति प्रदान की है।

मध्य प्रदेश का यूसीसी केवल पहले से बने कानूनों की पुनरावृत्ति नहीं है। राज्य ने उत्तराखंड के अनुभवों का अध्ययन करते हुए अपने सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप कई प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाया है। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है ताकि भविष्य में पति-पत्नी के अधिकारों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो। बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और सभी नागरिकों के लिए एक विवाह की समान व्यवस्था लागू की गई है। पैतृक सम्पत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों

को समान अधिकार दिए गए हैं। विवाह-विच्छेद की प्रक्रिया को भी स्पष्ट कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया है, जिससे किसी भी पक्ष के साथ अन्याय होने पर न्याय प्राप्त करने का मार्ग सरल हो।

मध्य प्रदेश के यूसीसी की एक प्रमुख विशेषता लिव-इन सम्बंधों को लेकर बनाई गई विस्तृत व्यवस्था है। ऐसे सम्बंधों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाकर या धोखे से सम्बंध स्थापित करता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी के निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना नहीं बल्कि महिलाओं के साथ होने वाले छल और शोषण को रोकना तथा सम्बंधों में कानूनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार भरण-पोषण और उत्तराधिकार से जुड़े अधिकारों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ताकि विवाद की स्थिति में नागरिकों को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश के यूसीसी का मूल उद्देश्य समान है, किंतु उनकी संरचना में कुछ अंतर दिखाई देते हैं। उत्तराखंड ने देश का पहला व्यापक मॉडल प्रस्तुत किया और नागरिक कानूनों को एक समान ढांचे में व्यवस्थित किया। गुजरात ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाने पर बल दिया। असम ने बहुविवाह और अवैध वैवाहिक सम्बंधों पर विशेष कठोरता दिखाई। मध्य प्रदेश ने इन अनुभवों को आधार बनाते हुए विवाह पंजीकरण, महिलाओं के अधिकार, लिव-इन सम्बंधों की जवाबदेही और उत्तराधिकार सम्बंधी प्रावधानों को अधिक विस्तार दिया है। साथ ही अनुसूचित जनजातियों के सम्बंध में संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष प्रावधानों का भी ध्यान रखा गया है।

इस कानून का सबसे बड़ा लाभ मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। विवाह पंजीकरण अनिवार्य होने से पति-पत्नी दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। पैतृक सम्पत्ति में समान अधिकार मिलने से बेटियां आर्थिक रूप से अधिक सशक्त होंगी। विवाह-विच्छेद की स्थिति में महिलाओं को स्पष्ट कानूनी संरक्षण मिलेगा। यदि किसी महिला के साथ छलपूर्वक सम्बंध स्थापित किया जाता है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान कानून को अधिक प्रभावी बनाता है। सामान्य नागरिकों को भी इस कानून से अनेक व्यावहारिक लाभ मिलेंगे। अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न होने वाला भ्रम समाप्त होगा। विवाह, गोद लेने, सम्पत्ति के बंटवारे और भरण-पोषण जैसे विषयों में एक समान प्रक्रिया लागू होने से नागरिकों को अपने अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से समझ आएंगे।

राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली
सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका

हिंदी विवेक
We Work For Better World

पंजीयन करें

सेवा विवेक ग्रंथ

मौलिक एवं संग्रहणीय ग्रंथ, स्वयं एवं परिजनों के लिए पंजीयन करें

ग्रंथ प्रकाशन का उद्देश्य

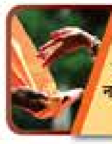
भारत की आत्मा ...सेवा! जो केवल सहायता या दान नहीं है।

सेवा का सही अर्थ है कर्तव्य, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वय।

सेवा को भावनात्मक कार्य से आगे ले जाकर विचारशील, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना।

सेवा के पीछे की भारतीय दृष्टि, प्रेरणा और दर्शन को उजागर करना।

इस विचार को बल देना कि सेवा व्यक्ति को संस्कारित कर समाज को संगठित एवं सशक्त करने का प्रभावी माध्यम है।

आदर्श सेवा कार्यों को संकलित कर समाज के प्रबुद्ध पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना।

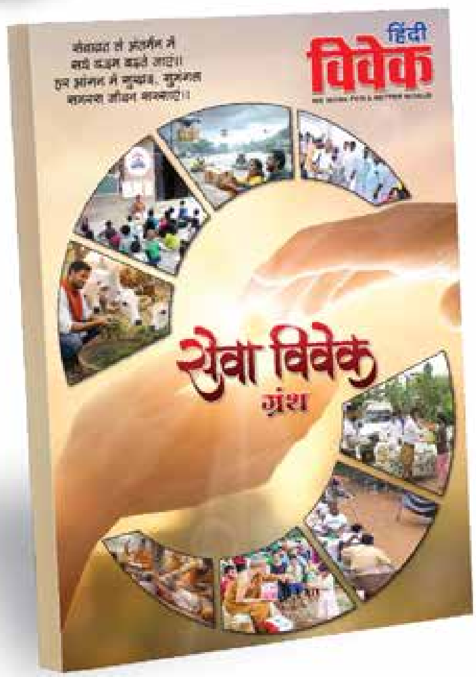

प्रकाशन पूर्व मूल्य
600/-

ग्रंथ का मूल्य
₹ 700/-

देश के गणमान्य विशेषज्ञों एवं लेखकों की कलम से समृद्ध विषय वस्तु से परिपूर्ण ग्रंथ

ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of : HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank : State Bank of India
Branch : Charkop
A/C No. : 43884034193
IFSC : SBIN0011694

स्थानीय प्रतिनिधि से सम्पर्क करें
कार्यालय : सहारा नांगरे - 9594991884
Email : hindivivekvargani@gmail.com

अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस

विश्व-मित्र की जीवंत संकल्पना

डॉ. अर्जुन आनंद

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बंध नहीं, राष्ट्रों के बीच विश्वास और सहयोग का आधार भी है। भारत 'विश्व-मित्र' बनकर अन्य देशों को भी संकट में सहायता और विकास में साझेदारी के लिए अपने हाथ बढ़ा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस 2 अगस्त को है। मित्रता एक ऐसा आभूषण है जो बाहरी आंखों से अधिक भीतरी आंखों को सुख देता है। भारत विश्व-मित्र इसलिए बन रहा है क्योंकि वह केवल अपनी आर्थिक या सामरिक शक्ति नहीं बढ़ा रहा बल्कि उस शक्ति का उपयोग अन्य देशों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आपदा-राहत में भी कर रहा है। भारत की नीति का मूल भाव है- वसुधैव कुटुम्बकम् अर्थात् सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार को रूप में देखने की दृष्टि।

भारत का मित्र देशों को सहयोग अनेक रूपों में रहा, जैसे अनुदान सहायता, रियायती ऋण या लाइन ऑफ क्रेडिट, सड़क, बिजली, अस्पताल, विद्यालय और सिंचाई जैसी आधारभूत परियोजनाएं, विद्यार्थियों और अधिकारियों को छात्रवृत्ति व प्रशिक्षण, दवाइयां, टीके और चिकित्सा उपकरण, बाढ़, भूकम्प, चक्रवात तथा महामारी के समय राहत, कृषि, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और कौशल विकास में विशेषज्ञता साझा करना। मार्च 2025 तक भारत ने विश्व के 68 देशों को 300 से अधिक लाइन ऑफ क्रेडिट, लगभग 32 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की, प्रस्तावित की थीं। ध्यान रहे कि लाइन ऑफ क्रेडिट अनुदान नहीं बल्कि आसान शर्तों वाला विकास ऋण होता है, इसलिए सहायता के साथ विकास-साझेदारी शब्द अधिक सटीक है।

संकट के समय सबसे पहले सहायता

सच्चे मित्र की पहचान संकट में होती है। भारत ने प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों, महामारियों और खाद्य संकटों के समय अनेक देशों को दवाइयां, भोजन, राहत सामग्री, बचाव दल तथा चिकित्सा दल भेजे हैं। दिसम्बर 2025 में दिए गए सरकारी आंकड़े के अनुसार उससे पूर्व के 5 वर्षों में भारत ने 150 से अधिक देशों को मानवीय सहायता प्रदान की थी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं के साथ-साथ दूसरे देशों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा। मार्च 2025 तक वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को कुल 30.12 करोड़ टीके की खुराकें उपलब्ध कराई थीं। इससे विकासशील और

संसाधन-सीमित देशों को महामारी से लड़ने में सहायता मिली।

- ※ भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना, 2024-2029, के लिए 10,000 करोड़ की विकास सहायता घोषित की।
- ※ भारत ने युगांडा को बिजली की पारेषण लाइनों के लिए 141 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की।
- ※ प्रतिवर्ष लगभग 200 वियतनामी नागरिक भारत में प्रशिक्षण और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं।
- ※ केन्या को कृषि-यंत्रीकरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई।
- ※ यह सूची केवल भूटान, युगांडा, वियतनाम और केन्या तक सीमित नहीं है। भारत की विकास परियोजनाएं और सहायता कार्यक्रम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और प्रशांत द्वीपीय देशों तक फैले हुए हैं।

भारत की अनुदान परियोजनाओं और रियायती ऋणों में विशेष रूप से नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, मॉरीशस और सेशेल्स जैसे देशों की सड़क, रेल, बिजली, जल, आवास और सामुदायिक आधारभूत संरचना सम्बंधी आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। भारत दुनिया पर अपना प्रभुत्व नहीं, अपना विश्वास स्थापित कर रहा है। भारत की शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था और सेना में नहीं बल्कि संकट के समय आगे बढ़ने वाली उसकी सहायता में भी दिखाई देती है। सच्चा मित्र वही है, जो संकट में सहारा बने और विकास में भागीदार। पूरा विश्व आज संसाधनों के संघर्ष में उलझा हुआ है। चीन जैसे उभरते राज्य भी डेट-ट्रैप कूटनीति का सहारा लेते दिखते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध भी अभी तक चल रहा है। अमेरिका के बारे में तो कुछ भी आशंका लगाना ही दुर्निवार हो गया है। भारत के पड़ोसी देशों में आए दिन सरकारें गिरती अथवा उठती दिख रही है। ऐसी विकट घड़ी में भी भारत एक सबल एवं सम्पन्न राष्ट्र बनकर अंतरराष्ट्रीय मैत्री के कीर्तिमान स्थापित करता दिखता है। हाल ही में प्रधान मंत्री का इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया दौरा इस बात का परिचायक है। **इसी विविधता के सम्मान, सहिष्णुता नहीं, के भाव से ही विश्वमित्र बना जा सकता है** और यह भाव हमें उन सांस्कृतिक जड़ों से मिलता है जो सहस्राब्दियों से न जाने कितने सभ्यताओं का निर्माण कर चुकी है। आज की युवा पीढ़ी का उत्तरदायित्व बस इस इतना है कि यदि वे इन जड़ों में खाद-पानी न भी डाल पाएं, तो भी कम से कम इनको जलाने का प्रयास न करें। भारत आगे बढ़ रहा है, औरों को बढ़ा रहा है। भविष्य उज्ज्वल है। चरैवेति चरैवेति...

●●●

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए मौलिक एवं संग्रहणीय पुस्तक

हिंदी विवेक
" We Work For A Better World"

पद्मश्री रमेश पतंगे लिखित
'हिंदी विवेक' द्वारा प्रकाशित

हम संघ में क्यों हैं...

संघ विचारों की मूल प्रेरणा, संघकार्य को समझने की प्रक्रिया और इन सभी से संघ स्वयंसेवकों को अनायास मिलनेवाले राष्ट्रबोध और कर्तव्यबोध का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है।

पंजीयन करें

पुस्तक का मूल्य ₹250/-

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, Branch - Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483, भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

सौंदर्य क्रीम

डॉ. कृष्णा नंद पांडेय

बाजार में बिक रही कई गोरी बनाने वाली क्रीमों में मरकरी की मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई है। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में नकली सौंदर्य उत्पादों की बिक्री हो रही है जो स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकते हैं।

चेहरे पर ये कैसा दाग!

आज लगभग सभी विशेषकर कामकाजी लोग अपनी त्वचा और चेहरे को सुंदर, आकर्षक बनाए रखने के लिए बाजार में उपलब्ध तरह-तरह के सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों का प्रयोग करते हैं। बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रांड के कॉस्मेटिक उत्पाद लोगों को आकर्षित भी करते हैं। नामी-गिरामी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियां तथा कुछ प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों द्वारा अपने उत्पादों में प्रयुक्त सामग्रियां प्रायः निर्धारित मानकों के अनुरूप मिलाई जाती हैं, परंतु कुछ कम्पनियां बाजार में निम्न कोटि के नकली सौंदर्य उत्पादों को उतार कर जनसाधारण के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आतीं। हालांकि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित एफडीए (फूड ऐंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा विभिन्न मिलावटी उत्पादों पर गहन निगरानी की जाती है, उसके बावजूद भी कुछ लोभी उद्योगपति और व्यापारी कम लागत में अधिक लाभ कमाने के लिए जानबूझकर सस्ते और नकली उत्पादों की खपत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उद्योगपति चिराग बड़जात्या के सोशल मीडिया के माध्यम से नागपुर की 18 महिलाओं में ऐसे नकली उत्पादों के प्रयोग से विगत दो वर्षों की अवधि में गुर्दे से सम्बंधित समस्या प्रकाश में आई। गहन जांच में उन सभी महिलाओं में इस समस्या के पीछे पाकिस्तान में निर्मित ऑनलाइन सुलभ त्वचा क्रीम के प्रयोग का हाथ पाया गया। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (खाद्य एवं औषध प्रशासन) द्वारा की गई जांच में उन उत्पादों में मरकरी (पारा) का स्तर कानूनी रूप से निर्धारित सीमा से 752 गुना अधिक पाया गया। महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों एवं क्षेत्रों में धड़ल्ले से बिक रहे नकली एवं स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक सौंदर्य उत्पादों का संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के एफडीए यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2026 को उन उत्पादों में मरकरी (पारा) की उपस्थिति खतरनाक सीमा से अधिक होने के विरुद्ध एक चेतावनी जारी की गई। त्वचा में निखार लाने का दावा करने वाले 9 कॉस्मेटिक उत्पादों, जिनमें 8 क्रीम और एक साबुन सम्मिलित है, की प्रयोगशाला में गहन जांच के परिणामस्वरूप मरकरी का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने के बाद उन सभी उत्पादों को मानक गुणवत्ता के विरुद्ध होने की घोषणा की गई। उन उत्पादों में स्कीनिया कोरियन गोरी ब्यूटी क्रीम, फेस फ्रेश गोल्ड प्लस ब्यूटी क्रीम एवं ब्यूटी सीरम, डेज़लर इटर्ना डे केयर लाइट क्रीम, पारले ब्यूटी क्रीम, मलाइका प्रीमियम ब्यूटी क्रीम, लाइकोपीन युक्त गोरी ब्यूटी क्रीम, पारले गोल्डी एडवांस्ड ब्यूटी क्रीम पर्ल शाइन, हसीना ब्यूटी क्रीम तथा गोरी व्हाइटनिंग

सोप सम्मिलित पाए गए। इनमें से अधिकांश पाकिस्तान निर्मित उत्पादों की सार्वजनिक उपलब्धता ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सुलभ थी। अनेक उत्पादों की पैकिंग पर बैच नम्बर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जैसी निर्माण सम्बंधी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी। त्वचा निखार के दावे के साथ उन सभी सौंदर्य उत्पादों में मरकरी की मात्रा निर्धारित राष्ट्रीय मानक की तुलना में कई गुणा अधिक पाई गई।

नकली त्वचा क्रीमों की सच्चाई

ऐसे नकली त्वचा निखार उत्पादों के 15 दिन के प्रयोग से त्वचा में मरकरी के अत्यधिक अवशोषण के परिणामस्वरूप त्वचा को रंग देने वाली मेलानिन कोशिकाओं को क्षति पहुंचती है। ऐसी क्रीम के प्रयोगकर्ताओं में इन कोशिकाओं का नष्ट होना त्वचा का रंग साफ होने यानी त्वचा में निखार का भ्रम पैदा करता है। सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरनमेंट के वैज्ञानिकों द्वारा सम्पन्न अध्ययनों में दैनिक प्रयुक्त सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों में भारी धातुओं की उपस्थिति मानक सीमा से अधिक प्रदर्शित की गई है। त्वचा की क्रीम में मरकरी का स्तर 44% पाया गया जो सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक था। उन अध्ययनों में महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लिपस्टिक्स के लगभग 50% नमूनों में कैंसर पैदा करने वाले क्रोमियम और स्वास्थ्य समस्या पैदा करने के लिए ज्ञात निकिल की मात्रा अधिक पाई गई। प्रयोगशाला में गहन परीक्षण के बाद उन उत्पादों में केवल हानिकारक धातुएं ही नहीं बल्कि संक्रामक बैक्टीरिया, यीस्ट और फफूंद यानी मोल्ड जैसे हानिकारक कारकों की भी उपस्थिति पाई गई है। इन उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया में स्वच्छता का समुचित अनुपालन नहीं होना तरह-तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। भारत में उपलब्ध ब्रांडरहित अधिकांश सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद लोगों के प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

नकली त्वचा क्रीमों से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएं

15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर त्वचा गोरी बनाने का दावा करने वाली नकली एवं मिलावटी क्रीमों की भरमार है। अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में मरकरी यानी पारा, सीसा (लेड) और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं निर्धारित मानक स्तरों से कई गुणा अधिक मिलाई जाती हैं। इन क्रीमों में मरकरी की अधिकता से त्वचा को रंग देने वाली मेलानिन का बनना बंद हो जाता है, जिससे त्वचा दो हफ्ते में सफेद दिखाई देने लगती है। उनसे उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं में रैश, जलन, दाग, त्वचा का पतला होना तथा लम्बी अवधि के प्रयोग से कैंसर होने का खतरा उभर सकता है। त्वचा क्रीम की सफेदी और बढ़िया टेक्सचर के लिए उसके निर्माण में सीसा (लेड) मिलाया जाता है।

डॉ. अन्नपूर्णा बाजपेयी आर्या

सावन मास भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक चेतना का जीवंत उत्सव है। यह प्रकृति, भक्ति और मानव जीवन के बीच अद्भुत सामंजस्य स्थापित करता है।

साधना, उत्सव व संस्कृति का आध्यात्मिक महापर्व

जब आकाश से बरसती बूंदें धरती का अभिषेक करती हैं, जब वृक्ष नवजीवन से लहलहाने लगते हैं, जब नदियां उमंग से बहती हैं और जब भगवान श्री हरि अपनी सत्ता भगवान शिव को सौंपकर शयन करने चले जाते हैं, तब मानव का अंतर्मन शिवमय होने को व्याकुल हो उठता है- तभी सावन का आगमन होता है।

भगवान शिव भारतीय दर्शन में केवल देवता नहीं बल्कि सम्पूर्ण सृष्टि के संतुलन के प्रतीक हैं। वे संहारक हैं, किंतु उसी संहार के माध्यम से नवसृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे कैलाश के योगी भी हैं और संसार के पालनहार भी। उनके मस्तक पर गंगा, जटाओं में चंद्रमा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल- इन सभी प्रतीकों में प्रकृति, वैराग्य, शक्ति, संतुलन और करुणा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है।

भारत में प्रत्येक ऋतु, प्रत्येक पर्व और प्रत्येक मास केवल समय की गणना नहीं बल्कि जीवन-दर्शन का संदेश लेकर आता है। इन्हीं पवित्र महीनों में श्रावण मास, जिसे सामान्यतः सावन कहा जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी संस्कृति में प्रत्येक मास का अपना विशिष्ट धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, किंतु श्रावण (सावन) मास को विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना का मास माना गया है। यह मास केवल वर्षा और हरियाली का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, तप, संयम, श्रद्धा और भगवान शिव की अनन्य उपासना का दिव्य अवसर है।

वर्षा ऋतु के मध्य आने वाला यह महीना प्रकृति के नवजीवन, हरियाली, शीतलता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। चारों ओर हरियाली, रिमझिम वर्षा, झूमते वृक्ष और मधुर वातावरण मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाने का स्वाभाविक अवसर प्रदान करते हैं। यही कारण है कि सावन को केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और

भक्ति का महापर्व कहा गया है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट विष से समस्त सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान किया था। विष की तीव्र ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। तभी से शिवलिंग पर जलाभिषेक की परम्परा प्रारम्भ हुई। सावन का महीना उसी शिवतत्व के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है।

सावन में भक्त प्रतिदिन अथवा प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर गंगाजल, शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत और पुष्प अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जलाभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जल केवल एक अर्पण नहीं बल्कि अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मक भावों का विसर्जन भी है। शिवलिंग पर गिरती प्रत्येक जलधारा मनुष्य को यह संदेश देती है कि जीवन में शीतलता, धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही सच्ची साधना है।

सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। अनेक श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं, शिवालयों में रुद्राभिषेक कराते हैं तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हैं। अविवाहित युवतियां योग्य जीवनसाथी की कामना से तथा विवाहित महिलाएं परिवार की सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं।

सावन मास का सबसे विशाल धार्मिक आयोजन कांवड़ यात्रा है। करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लेकर अनेक किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जाति, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति का कोई भेद नहीं रहता। सबकी पहचान केवल एक होती है- शिवभक्त। यह यात्रा अनुशासन, धैर्य, परिश्रम, सहयोग और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। मार्ग में हजारों लोग निःस्वार्थ भाव से भोजन, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था करते हैं। यह भारतीय समाज की सेवा-परम्परा का जीवंत स्वरूप है।

सावन मास में केवल शिवपूजन ही नहीं बल्कि अनेक धार्मिक परम्पराएं भी निभाई जाती हैं। सावन केवल शिव पूजन का महीना नहीं है, यह भारतीय लोकसंस्कृति की आत्मा भी है। गांवों में झूले पड़ते हैं, महिलाएं सावन के गीत गाती हैं, बच्चे वर्षा में उल्लास मनाते हैं और प्रकृति के साथ जीवन का सहज उत्सव मनाया जाता है।

हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, पुत्रदा एकादशी, श्रावणी उपाकर्म, रक्षाबंधन आदि पर्व इसी मास की गरिमा को और बढ़ाते हैं। यह महीना प्रकृति संरक्षण का भी संदेश देता है। पेड़-पौधे लगाना, जल स्रोतों का संरक्षण करना तथा जीव-जंतुओं के प्रति करुणा रखना भी भारतीय परम्परा में सावन की भावना से जुड़ा हुआ है।

आध्यात्मिक दृष्टि से सावन आत्मसंयम और अंतर्मन की शुद्धि का काल है। इस समय सात्विक भोजन, नियमित उपवास, ध्यान, जप, स्वाध्याय और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। इन साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त करता है। शिव स्वयं वैराग्य, करुणा, समता और कल्याण के प्रतीक हैं। इसलिए सावन हमें केवल पूजा-पाठ ही नहीं बल्कि शिव के गुणों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी देता है।

सावन केवल मंदिरों में दीप जलाने का महीना नहीं बल्कि अपने अंतर्मन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करने का अवसर है। यह हमें मन को शांत रखना, प्रकृति से प्रेम करना, क्रोध का त्याग, संयमित जीवन अपनाने, सेवा और करुणा को जीवन का आधार बनाने, ध्यान, जप और स्वाध्याय से आत्मबल बढ़ाने की प्रेरणा देता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल तभी सार्थक है जब वह हमारे भीतर के अहंकार को भी बहा ले जाए। बेलपत्र तभी स्वीकार्य है जब हमारे व्यवहार में भी सरलता और पवित्रता हो। व्रत तभी सफल है जब हमारी वाणी संयमित और हमारा आचरण सदाचारी हो। ●●●

TJSB SAHAKARI
BANK LTD.
MULTI-STATE
SCHEDULED BANK
Bharose ka Bank Bhavishya ka Bank
TURN YOUR IDLE
GOLD INTO
INSTANT FUNDS.
THE SMARTER WAY.
LOAN UP TO ₹25 LAKHS*
INSTANT ACCESS TO FUNDS
HASSLE FREE PROCESS
MINIMAL DOCUMENTATION
SPEEDY SANCTION & DISBURSAL OF LOANS
ZERO PRE-PAYMENT CHARGES
INTEREST RATE STARTING AT
8.60%*p.a.
Your Gold Has a Story.
We Guard Every Chapter.
*T & C APPLY
www.tjsb.bank.in | : 022-48897204

लोकगीत

निहारिका पोल सर्वटे

सावन आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर झूले लग जाते हैं, अठखेलियां करती सहेलियां और कानों में रस घोलते कजरी के गीत सुनाई पड़ने लगते हैं।

काहे को डारो रे अमवा में झूला...

भारतीय संस्कृति में कुछ ऋतुएं केवल मौसम नहीं होतीं, वे स्मृतियों का उत्सव बन जाती हैं। सावन ऐसी ही एक ऋतु है। जैसे ही पहली वर्षा धरती को स्पर्श करती है, पूरा परिवेश बदलने लगता है। खेतों में हरियाली लहलहाने लगती है, मिट्टी की सोंधी महक हवा में घुल जाती है और गांव की चौपालों से लेकर घर-आंगनों तक लोकगीतों की मधुर स्वर सुनाई देने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं किसी अनदेखे राग में आलाप ले रही हो। सावन की इसी लोकभावना को हिंदी सिनेमा ने भी अपने गीतों में अमर कर दिया है। 'अब के बरस भेज भैया को बाबुल' इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। यह कालजयी गीत सावन में मायके लौटने की आस लगाए बैठी एक विवाहित स्त्री के मन की व्यथा को अभिव्यक्त करता है। यही भाव कजरी की आत्मा है, जहां सावन केवल ऋतु नहीं बल्कि रिश्तों, स्मृतियों और भावनाओं का उत्सव बन जाता है।

सावन का भारतीय लोकजीवन से रिश्ता केवल वर्षा का नहीं बल्कि भावनाओं, परम्पराओं और सामूहिक उत्सव का है। यह वह समय है जब प्रकृति और संस्कृति एक-दूसरे का हाथ थामकर जीवन को उत्सव में बदल देती हैं। सावन आते ही विवाहित बेटियां मायके की राह देखने लगती हैं। हरियाली तीज के बहाने घर-आंगन फिर से हंसी, ठिठोली और लोकगीतों से भर उठते हैं। ननद-भाभी, बहनें और सखियां पेड़ों पर झूले डालती हैं, कजरी गाती हैं और कुछ दिनों के लिए मानो अपना बचपन फिर से जी लेती हैं। सावन उनके लिए केवल एक पर्व नहीं बल्कि रिश्तों को फिर से जीने का अवसर बन जाता है।

पीढ़ियां बदलती रहती हैं, लेकिन लोकगीत अपने भीतर उस समय की संवेदनाएं, विश्वास और जीवनशैली को सुरक्षित रखते हैं। सावन के गीत भी इसी लोकधारा का अमूल्य हिस्सा हैं। इनमें कहीं नवविवाहिता का मायके लौटने का उल्लास है, कहीं विरहिणी का अपने प्रिय की प्रतीक्षा, कहीं बादलों का स्वागत है तो कहीं खेतों में नई फसल की आशा। इन गीतों में जीवन का सम्पूर्ण रंगमंच दिखाई देता है। पूर्वांचल में आज भी महिलाएं समूह में गाती हैं,

'काहे को डारो रे अमवा में झूला, सावन आयो रे...'

इन पंक्तियों में केवल झूले का वर्णन नहीं है बल्कि पूरे ग्रामीण जीवन की सामूहिक खुशियां, प्रकृति से जुड़ाव और स्त्रियों की सहज अभिव्यक्ति समाई हुई है। यही लोकगीत भारत की सांस्कृतिक स्मृतियों को जीवित रखते हैं।

सावन की चर्चा कजरी के बिना अधूरी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की लोक संस्कृति में कजरी केवल एक गायन शैली नहीं बल्कि स्त्री मन की सहज अभिव्यक्ति है। इसकी

धुनों में वर्षा की लय, प्रेम की कोमलता और विरह की पीड़ा समान रूप से बहती है।

बनारस की महान लोक एवं शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी को कजरी की रानी कहा जाता है। उन्होंने 'बरसन लागी बदरिया रिमझिम, 'सावन की ऋतु आई' जैसी अनेक कजरियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। उनके गायन ने यह सिद्ध किया कि लोकसंगीत केवल गांवों की चौपालों तक सीमित नहीं,बल्कि भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर है।

सावन का एक और सुंदर पक्ष है 'हरियाली तीज'। यह केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि महिलाओं के सामूहिक उत्सव का प्रतीक है। हरे वस्त्र, मेहंदी से सजे हाथ, सोलह श्रृंगार, पेड़ों पर झूलते झूले और समूह में गाए जाने वाले लोकगीत इस पर्व को विशेष बनाते हैं।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के अनेक गांवों में हरियाली तीज पर आज भी महिलाएं झूले झूलते हुए गाती हैं,

'झूला किन डारो रे अमरैयां, सावन आयो...'

इन गीतों में केवल ऋतु का सौंदर्य नहीं बल्कि मायके की याद, बहनों का स्नेह, सखियों की हंसी और स्त्री जीवन की अनकही भावनाएं भी झलकती हैं। यही कारण है कि सावन के गीत केवल संगीत नहीं बल्कि लोकजीवन का जीवंत इतिहास हैं।

सावन हमें यह सिखाता है कि संस्कृति केवल संरक्षित नहीं की जाती, उसे जिया भी जाता है। जब बच्चे अपनी दादी से कजरी सुनते हैं, जब महिलाएं झूले पर बैठकर सामूहिक स्वर में गीत गाती हैं, जब गांव का पूरा वातावरण हरियाली और संगीत से भर उठता है, तभी लोकधारा जीवित रहती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन लोक परम्पराओं को केवल उत्सवों तक सीमित न रखें बल्कि उन्हें अपनी जीवनशैली और नई पीढ़ी की स्मृतियों का हिस्सा बनाएं क्योंकि जब लोकगीत मौन हो जाते हैं, तब केवल संगीत नहीं खोता, एक पूरी संस्कृति धीरे-धीरे अपनी आवाज खोने लगती है।

सावन इसलिए विशेष है क्योंकि यह केवल बारिश नहीं लाता। वह अपने साथ लोकसंगीत की मिठास, परम्पराओं की गरिमा और भारतीय संस्कृति की वह मधुर आवाज लेकर आता है, जो सदियों से हमारी पहचान बनी हुई है। यदि आने वाली पीढ़ियां भी झूलों की पींगों के साथ कजरी गुनगुनाएं, हरियाली तीज के गीतों में अपना बचपन खोजें और लोकधारा से जुड़ी रहें, तभी सावन की असली आत्मा जीवित रहेगी। ●●●

राष्ट्रीय भावनाओं को जाग्रत करनेवाली सामाजिक व पारिवारिक पत्रिका

हिंदी विवेक
We Work For A Better World
मासिक पत्रिका

शुल्क ₹ 500

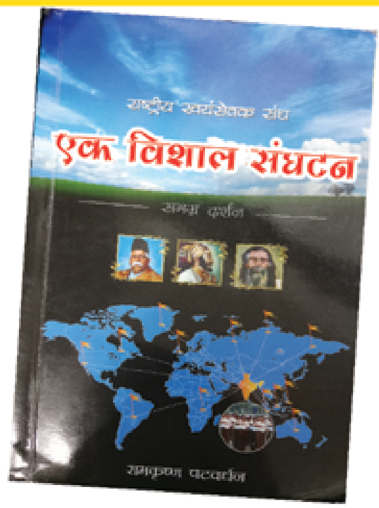

रा. स्व. संघ की स्थापना से लेकर शतकपूर्ति की यात्रा के विभिन्न पड़ावों तथा भविष्य के उद्देश्यों का सम्पूर्ण संकलन व आंकलन करने वाली पुस्तक

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ऑनलाईन पंजीयन करने के बाद कृपया 9594991884 पर कॉल करके सूचित करें या व्हाट्सअप करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of : **HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA-HINDI VIVEK**

Bank : Bank of Maharashtra **Branch :** Prabhadevi
A/C No. : 60085108000 **IFSC :** MAHB0000318

सम्पर्क - 9594991884 **Email : hindivivekvargani@gmail.com**

सेंसर बोर्ड

विष्णु शर्मा

कोई भी फिल्म प्रदर्शित होने से पहले सेंसर बोर्ड की अनुमति लेना आवश्यक है। सेंसेर चाहे तो फिल्म के दृश्य, संवाद व गानों पर कैंची चला सकती है, लेकिन ओटीटी पर इस तरह की बाध्यता क्यों नहीं है, इस आलेख में हम विस्तृत जानकारी दे रहे हैं?

ओटीटी पर सरकार के बंधे हाथ

जनवरी 2021 में जब अमेजन प्राइम पर सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया की वेबसीरीज 'तांडव' आई थी तो उसके डायलॉग्स ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया था कि केंद्र सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब उलझ गए। नारद बना कलाकार शिवजी बने कलाकार से कहता है, भोलेनाथ आप तो बहुत ही भोले हैं, रामजी के फॉलोअर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें भी कुछ नई रणनीति बना ही लेनी चाहिए। तो सनातनी समूहों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। फ्रांस की पत्रिका चार्ली हैब्दो के कार्यालय में मोहम्मद साहब का कार्टून छापने पर आतंकी हमला हो गया था, यहां तो शिवजी और राम के बीच झगड़ा दिखाया जा रहा था, वो भी व्यंग्यात्मक तरीके से। उस पर कुछ जाति समूह भी नाराज हो गए, उसका कारण ये डायलॉग था, जब एक छोटी जाति का आदमी, एक ऊंची जाति की औरत को डेट करता है न, तो वो बदला ले रहा होता है, सदियों के अत्याचारों का, सिर्फ उस एक औरत से। बवाल इतना बढ़ा कि अमेजन प्राइम की अधिकारी अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत की याचिका डालनी पड़ी, सरकार को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस बनानी पड़ीं और सुप्रीम कोर्ट ने उन गाइडलाइंस पर ही नाराजगी जता डाला कि इनमें सजा का प्रावधान तो है ही नहीं। ऐसे में आम लोगों की ये समझ नहीं आता कि आखिर क्यों केंद्र सरकार या सूचना प्रसारण मंत्रालय ओटीटी के मामले में उदार रवैया अपनाते रहे हैं? क्यों ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली फिल्मों या वेबसीरीज को सेंसर बोर्ड से पास नहीं करवाते हैं? दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले तक तो

लोगों को ये भी पता नहीं था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सूचना प्रसारण मंत्रालय के नहीं बल्कि सूचना तकनीकी (आईटी) मंत्रालय के तहत आते हैं। हालांकि 2021 के आईटी रूल्स के पार्ट थर्ड में ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत ला दिया गया। केवल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आईटी मंत्रालय के जिम्मे रहे। बावजूद इसके विवाद अब भी जारी हैं क्योंकि अभी भी सेंसर बोर्ड ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों, वेबसीरीज को सर्टिफिकेट नहीं देता बल्कि उनके लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बना दी गई है। सबसे पहले तो उन्हें स्व-नियमन के तहत हर मूवी या वेबसीरीज को उम्र के हिसाब से बताना होगा, जैसे 7 वर्ष से ऊपर वालों के लिए है या 13 वर्ष या 16 वर्ष से ऊपर वालों के लिए है। साथ ही क्या भाषा खराब है, हिंसा ज्यादा है आदि भी ऊपर ही स्क्रीन पर बताना होगा ताकि देखने वाले सावधान रहें और तय कर सकें कि बच्चों को क्या दिखाना है क्या नहीं। त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत प्लेटफॉर्म को स्व-नियमन करना होगा, एक आंतरिक शिकायत अधिकारी भी नियुक्त करना होगा। दूसरे स्तर पर भी इंडस्ट्री से जुड़ी संस्थाएं स्व-नियमन करेंगी। तीसरे स्तर पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की अंतर विभागीय समिति आईटी एक्ट 69ए के तहत निर्णय करेगी।

सेंसर बोर्ड सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट देता है, इस एक्ट के तहत ये उन फिल्मों पर लागू होता है जो सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जा रही हैं। जबकि ओटीटी की फिल्में या वेबसीरीज घरों में देखी जाती हैं, सो वो ना इस एक्ट के तहत आती हैं और ना सेंसर बोर्ड उनको सेंसर सर्टिफिकेट देता है। एक्शन ना होने का दूसरा कारण है कि सरकार का इंटरनेट प्रयोग करने वाले समुदाय के लिए उदार रवैया होना। चीन जैसे अपवाद छोड़ दिए जाएं तो विश्वभर की सरकारें ऐसा ही रवैया मोटे तौर पर रखती आई हैं। मोदी सरकार भी अपने ऊपर नई पीढ़ी के ये आरोप नहीं लेना चाहती कि वो इंटरनेट पर लगाम लगा रही है। सो अभी तक कड़ा कानून ना बनने, सजा आदि का प्रावधान ना होने का ये बड़ा कारण है। फिल्म 'सतलुज' कई साल से अटका था क्योंकि सेंसर ने करीब 127 कट बताए तो निर्माता ने नाम बदलकर फिल्म को जी5 ओटीटी पर रिलीज कर दिया। साफ दर्शाता है कि सेंसर सर्टिफिकेट तो लेना नहीं था, लेकिन जब फिल्म को बड़ी स्क्रीन लगाकर पंजाब में जगह-जगह दिखाया जाने लगा तो ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के दायरे में भी आ गई। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और फिल्म 2 दिन बाद ही जी5 से हटा दी गई।

ऐसे में लोग पूछते हैं कि जब बार-बार कोई ना कोई विवादित फिल्म या वेबसीरीज आती है और सरकार कड़े नियम नहीं बनाती तो सरकार उन्हें कैसे रोक सकती है? इसका जवाब वो 2 लाइन का उत्तर है, जो इसी हफ्ते सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने संसद में एक लिखित उत्तर में दिया। जिसके अनुसार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसी सामग्री प्रसारित नहीं की जा सकती, जो देश के किसी भी कानून के खिलाफ है। सरल शब्दों में अगर किसी भी मूवी या सीरीज से हिंसा या कानून व्यवस्था भी खराब होने का डर

हो तो भी सरकार उस पर एक्शन ले सकती है तो सरकार के हाथ कतई नहीं बंधे हैं, बल्कि वो दिखना उदार चाहती है और काफी हद तक रहती भी है, लेकिन फिर भी कोई निर्माता इस उदारता का लाभ लेकर विवादित मूवी या सीरीज ओटीटी पर रिलीज करता है, तो सरकार के पास अनेक उपाय हैं कि वो एक झटके में उस पर एक्शन ले लें। वो मूवी महिला अस्मिता के खिलाफ हो सकती है, बच्चों या जानवरों पर क्रूरता से जुड़ी हो सकती है, समाज में वैमनस्य फैलाने वाली हो सकती है, धार्मिक रूप से संवेदनशील हो सकती है या फिर किसी मित्र देश के भी खिलाफ हो सकती है, ऐसे कई कारणों में से किसी एक कारण से भी सरकार उस फिल्म पर एक्शन ले सकती है।

राज्यभिषेक दिवस- 8 अगस्त

महान शासक सम्राट
राजा कृष्णदेव राय

दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की गौरव गाथा भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर में अंकित है। संगम राजवंश के हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम द्वारा 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णिम काल राजा कृष्ण देव राय के शासनकाल को माना जाता है।

राजा कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा। उनके नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य के सफलता, वैभव एवं समृद्धि की ख्याति अपने चरम शिखर पर पहुंची। इस दौरान राज्य का विस्तार होने के साथ ही आर्थिक समृद्धि आई और कला व संस्कृति का तेजी से विकास हुआ। इस स्वर्ण युग के दौरान विजयनगर साम्राज्य व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बना और इसकी राजधानी अपनी वास्तुकला की भव्यता और शहरी नियोजन के लिए देश ही नहीं अपितु दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई।

महान राजा कृष्णदेव राय का जन्म 16 फरवरी 1471 को वर्तमान कर्नाटक राज्य के हम्पी में हुआ था। उनके पिता का नाम तुलुवा नरसा नायक और माता का नागलादेवी था। तुलुवा नरसा नायक सालुवा नरसिम्हा देव राय के अधीन एक सेनापति थे, जिन्होंने बाद में साम्राज्य के विघटन को रोकने के लिए 1491 में विजयनगर की सत्ता सम्भाली और विजयनगर साम्राज्य के तुलुवा वंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय से पूर्व उनके बड़े भाई वीरनरसिंह राजसिंहासन पर विराजमान थे। वीर नरसिंह के निधन के बाद 8 अगस्त 1509 को कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर राजतिलक किया गया। उनका विवाह श्रीरंगपट्टनम की राजकुमारी तिरुमाला देवी और कोडागु की उनकी शाही नर्तकी चिन्ना देवी से हुआ था। उनका तीसरा विवाह अन्नपूर्णा देवी से हुआ था। उनकी तीन संतानें थीं। इनमें रानी तिरुमाला देवी से पुत्री तिरुमलम्बा एवं पुत्र तिरुमालराय तथा रानी चिन्ना देवी से पुत्री वेंगलम्बा। तीसरी रानी से कोई संतान नहीं थी। उनकी बेटियों का विवाह विजयनगर के राजकुमार राम राय और उनके भाई राजकुमार तिरुमाला देवराय से हुआ था।

वेद प्रकाश पांडे

राज्य विस्तार और सैन्य सफलता

कृष्णदेवराय तुलुवा वंश के तीसरे शासक थे। उनके पूर्वजों ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी थी, जिसे कृष्णदेव राय ने गौरवशाली विस्तार दिया और अपनी मृत्युपर्यन्त अक्षुण्ण बनाए रखा। उनका साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बड़े भूभाग पर फैला था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और ओडिशा के क्षेत्र आते हैं। उनके राज्य की राजधानी हम्पी थी, जिसके एक ओर तुंगभद्रा नदी और दूसरी ओर ग्रेनाइट पत्थरों से बनी प्रकृति के अद्भुत दृश्य दर्शनीय है। इसकी गणना दुनिया के महान शहरों में की जाती है, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य का हिस्सा है। उनके शासनकाल में सैन्य विस्तार और राजनीतिक सुदृढ़ीकरण हुआ। उन्होंने बीजापुर, गोलकोंडा, बहमनी सल्तनत और ओडिशा के गजपतियों को हराकर भारतीय प्रायद्वीप के प्रमुख शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई और सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राटों में से एक बन गए। राजा कृष्ण देव राय एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने अनेक सफल अभियानों के जरिए साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया। कृष्णदेव राय की रणनीतिक समझ उनकी कूटनीतिक चालों में भी झलकती थी। उनकी सैन्य कुशलता दक्कन के पठार और दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे अहम क्षेत्रों पर कब्जा करने और अपनी पकड़ मजबूत करने

की उनकी क्षमता में साफ दिखाई देती थी। उनके शासनकाल के दौरान चलाए गए प्रमुख अभियानों में 1512 में रायचूर दोआब की विजय, 1514 में ओडिशा पर विजय और 1520 में बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध निर्णायक विजय शामिल थी। उनके दरबार का दौरा करने वाले पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और डुआर्टे बारबोसा ने उन्हें एक कुशल प्रशासक और असाधारण सैन्य सेनापति के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने स्वयं सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और घायल सैनिकों की देखभाल की।

आर्थिक समृद्धि और शहरी विकास

कृष्णदेवराय दूरदर्शी प्रशासक एवं प्रजापालक राजा थे और अपने राज्य की आर्थिक स्थिरता का महत्व अच्छी तरह से समझते थे। राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम किया। सिंचाई परियोजनाओं को लागू करके और कृषि विकास को बढ़ावा देकर उन्होंने संसाधनों और राजस्व का लगातार प्रवाह सुनिश्चित किया। उनका साम्राज्य व्यापार और वाणिज्य का एक ऐसा बड़ा केंद्र बन गया, जहां पूरे भारत और विदेशों से व्यापारी और कारीगर आने लगे। उनके राज्य में खुले बाजार में हीरे-जवाहरात बिका करते थे। इस आर्थिक समृद्धि के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हुए, जिनमें भव्य मंदिर, महल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचों का निर्माण शामिल था।

विजयनगर की उत्कृष्ट स्थापत्य कला

राजा कृष्णदेव राय महान भवन निर्माता भी थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य में अनेक भव्य मन्दिरों एवं शानदार स्मारकों का निर्माण कराया, जिनमें संगीतमय स्तंभों वाला विट्ठला मंदिर, राम मंदिर, हजारा मंदिर (हजार स्तंभों वाला मंदिर), भव्य महल और सार्वजनिक बुनियादी दांचे का निर्माण शामिल था। आज भी हम्पी स्थित विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर और विरुपाक्षा मंदिर, पाषाण रथ वाला विट्ठल मंदिर, हाथियों का अस्तबल, राजमहल के अवशेष, बिना छत वालें भगवान नरसिंह और महादेव जी के मंदिर आदि उनके साम्राज्य वास्तुकला की बेहतरीन मिसालों में से बचे हैं।

कला, संस्कृति व साहित्यिक संरक्षण

राजा कृष्णदेव राय कला और साहित्य के संरक्षक थे। उनके शासनकाल को दक्षिण भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है। इस दौर में क्षेत्रीय साहित्य का खूब विकास हुआ, जिसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषाओं में उल्लेखनीय योगदान मिला।

●●●

स्वयं के लिए और अपने परिजनों के लिए ग्रंथ का पंजीयन करें

इस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे

- संघ में हो रहे अनगिनत सेवा कार्यों का परिणाम क्या है?
- डॉ. हेडगेवार जी से लेकर डॉ. मोहन भागवत जी तक के सभी सरसंघचालकों का दिशादर्शन...
- राजनीति को केंद्र में न रखकर राष्ट्रीयत्व को क्यों केंद्र में रखा?
- भारत के सम्मुख चुनौतियां और संघ कार्य का प्रभाव
- संघ विचारधारा और परिवर्तन

जैसे विविध मौलिक विषय

ग्रंथ का मूल्य ₹700/-

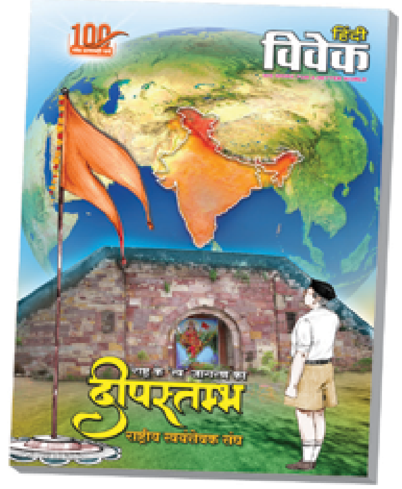

ईमेल - hindivivekvargani@gmail.com

Draft or Cheque should be drawn in the name of HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, Branch - Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करे और मैसेज बॉक्स मे अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

सम्पर्क
प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483
भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

आपकी आवाज को बुलंद करने वाली
सम्पूर्ण पारिवारिक व सामाजिक मासिक पत्रिका

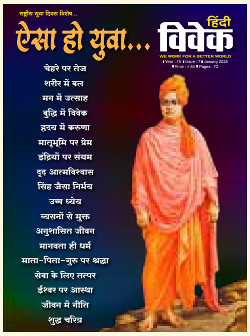

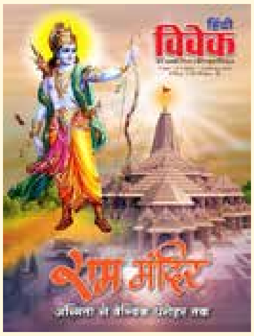

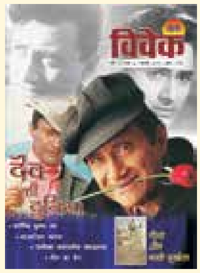

हिंदी **विवेक**

" We Work For A Better World"

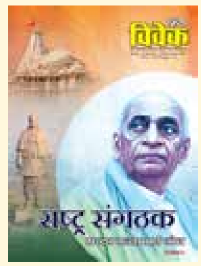

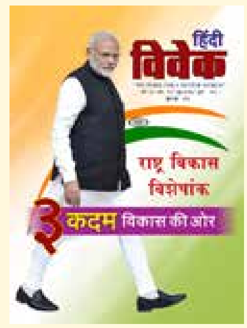

सदस्यता शुल्क

- वार्षिक मूल्य : रु. 500/-
- त्रैवार्षिक मूल्य : रु. 1,200/-
- पंचवार्षिक मूल्य : रु. 1,800/-
- संरक्षक मूल्य : रु. 25,000/-
- विदेशी सदस्यता शुल्क वार्षिक : रु. 5,000/-

खुद ग्राहक बनें व बनाएं

- जन्म दिन तथा अन्य समारोहों में हिंदी विवेक उपहार के रूप में भेंट करें।
- मित्रों, रिश्तेदारों तथा शुभचिंतकों को हिंदी विवेक की सदस्यता प्रदान करें।
- अपने दिवंगत स्नेहीजनों की स्मृति में 11, 21, 51 या 101 पाठकों को सदस्यता दें।
- विवाह के अवसर पर सदस्यता उपहार में दें।
- नववर्ष की शुभकामना के रूप में ग्रीटिंग कार्ड के स्थान पर हिंदी विवेक का सदस्यता रसीद प्रदान करें।

UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

हिंदी विवेक कार्यालय

प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर 10, सेक्टर - 2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - 400067

सम्पर्क : +91 95949 91884

hindivivekvargani@gmail.com / hindivivekadvt@gmail.com

मुकाबला

राजीव रोहित

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का आरम्भ विगत 23 जुलाई से आगामी 2 अगस्त तक चलेगा। 74 देशों के 3000 से अधिक खिलाड़ी इसमें अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।

राष्ट्रमंडल खेल और भारत

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की शानदार शुरुआत 23 जुलाई से हो चुकी है। यह 2 अगस्त तक चलेगी। 11 दिनों तक चलने वाले इन खेलों में 11 खेलों की 215 पदक स्पर्धाओं में मुकाबले होंगे। 74 देशों के 3000 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का कमाल दिखाने और प्रतिद्वंदी देशों के समक्ष अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। इन खिलाड़ियों में ओलम्पिक और विश्व चैंम्पियन खिलाड़ियों के साथ कई उभरते सितारे भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। प्रतियोगिता की शुरुआत 23 जुलाई को बाउल्स और पैरा बाउल्स जैसी अचर्चित स्पर्धाओं से होगी, जबकि समापन 2 अगस्त को ट्रैक साइक्लिंग, जूडो और नेटबॉल के पदक मुकाबलों के साथ होगा। एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, बास्केटबॉल और पैरा आदि स्पर्धाएं मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक 11 दिनों तक चलने वाले इन खेलों में 11 खेलों की 215 पदक स्पर्धाओं में मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में ओलम्पिकऔर विश्व चैम्पियन खिलाड़ियों के साथ कई उभरते सितारे भी अपनी चुनौती पेश करेंगे।

विदित हो कि राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल 56 देशों का एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके अधिकांश सदस्य देश कभी ब्रिटिश उपनिवेश थे और उन उपनिवेशों के अधीन थे। इस संगठन के सदस्य देशों के बीच के आपसी सम्बंधों को सशक्त करने और आपस में उन्हें जोड़ने के उद्देश्य के साथ ही राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता की शुरुआत 1930 में की गई। यह एक अंतरराष्ट्रीय-खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट शामिल होते हैं। यह आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था और तब से प्रत्येक 4 साल पर होता है। राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स और 1970 से 1974 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था। विकलांग एथलीटों को उनकी राष्ट्रीय टीमों के पूर्ण सदस्यों के रूप में पहली बार मान्यता देने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों को पहली पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल प्रतियोगिता भी माना जाता है।

इस प्रतियोगिता में भारत की सहभागिता के इतिहास का अवलोकन करें तो आज कॉमनवेल्थ गेम्स अर्थात राष्ट्रमंडल खेल में भारत भी दुनिया की सबसे मजबूत खेल शक्तियों में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह कि इस प्रतियोगिता में भारत की यात्रा एक कांस्य पदक से शुरू हुआ था। भारत ने पहली बार 1934 के ब्रिटिश एम्पायर गेम्स (अब राष्ट्रमंडल खेल) में हिस्सा लिया था।

उस समय भारतीय दल में केवल 6 खिलाड़ी थे। पूरे अभियान में देश को केवल एक पदक मिला, लेकिन यही पदक भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की नींव बना। पहलवान राशिद अनवर ने पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक दिलाया था। शुरुआती वर्षों में भारत के लिए पदक जीतना कभी आसान नहीं रहा था। स्वतंत्रता के बाद भी इस खेल प्रतियोगिता के कई आयोजन ऐसे रहे, जब भारतीय खिलाड़ियों को सफलता नहीं मिली, लेकिन 1958 के कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेल आयोजन ने इतिहास बदल दिया। महान धावक मिल्खा सिंह ने 440 गज दौड़ में स्वर्ण जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। उसी प्रतियोगिता में पहलवान लीला राम ने भी स्वर्ण जीतकर भारत की शक्ति दुनिया को दिखाई। 1958 में स्टेफ़नी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट नाम की खिलाड़ी द्वय राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनीं। इसके बाद 1978 में बैडमिंटन खिलाड़ी अमी घिया और कंवल सिंह में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं। आज भारतीय महिला-पुरुष खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन, मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स सहित कई खेलों में देश के लिए लगातार पदक जीत रहे हैं और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारतीय प्रदर्शन का आकलन किया जाए तो शूटिंग में भारत ने सबसे ज्यादा 135 पदक जीते हैं। इसके बाद वेटलिफ्टिंग में भारतीय खिलाड़ियों के नाम 133 पदक दर्ज हैं। कुश्ती में भारत ने अब तक 115 पदक प्राप्त किए हैं। इन 3 खेलों ने भारत को हर संस्करण में पदक तालिका में मजबूत स्थिति दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी निशानेबाज जसपाल राणा हैं। उनके नाम कुल मिलाकर 15 पदक जीतने का शानदार रेकॉर्ड है जिनमें 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य शामिल हैं। कई वर्षों तक उन्होंने शूटिंग में भारत का दबदबा कायम रखा था। सबसे ज्यादा कमाल तब हुआ जब भारत ने इसकी मेजबानी की थी। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में वर्ष 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। घरेलू मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने 101 पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। इनमें 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य शामिल थे। भारत पहली और अब तक एक ही बार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा था। कुल मिलाकर 1934 से लेकर बर्मिंघम 2022 तक भारत कुल 564 पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद दुनिया की चौथी सबसे सफल टीम है। इसमें 203 स्वर्ण, 190 रजत और 171 कांस्य पदक शामिल हैं।

भारतीय खिलाड़ी जब 23 जुलाई से ग्लासगो में शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पदकों की नई कहानी लिखने उतर रहे थे, तब उनके पीछे लगभग 9 दशक का गौरवशाली इतिहास भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उतर रहा था। वर्तमान राष्ट्रमंडल प्रतियोगिता में विभिन्न स्पर्धाओं के 120 से अधिक खिलाड़ियों के दल के साथ अलग-अलग खेलों में भारत अपनी चुनौती लगातार पेश कर रहा है। हालांकि पिछले संस्करण की तुलना में इस बार कम खेल शामिल किए गए हैं, अतएव स्वाभाविक रूप से पदकों की संख्या भी कम रहने की संभावना है। इसके बावजूद भारतीय दल से शानदार प्रदर्शन की आशा की जा रही है और वे अपनी पूरी क्षमता दर्शा रहे हैं।

भारत के गुलवीर सिंह ने मंगलवार को देर रात कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 10,000 मीटर फाइनल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। महिला वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने भी 69 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाला। वेटलिफ्टिंग में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात पदक (एक स्वर्ण, पांच रजत और एक कांस्य) जीते हैं। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ऋषिकांता सिंह चनंबम, राजा मुथुपंडी, वल्लुरी अजय बाबू, ज्ञानेश्वरी यादव और हरजिंदर कौर ने रजत पदक जीते, जबकि बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबम ने अब तक एकमात्र कांस्य पदक प्राप्त किया है।

ऑस्ट्रेलिया अब तक 35 स्वर्ण, 18 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ प्रतियोगिता के आरंभ से ही पहले स्थान पर बना हुआ है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक 2 स्वर्ण,7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ भारत 9वें स्थान पर है।

●●●

यहां लगता है गधों का मेला

आप मेले में जाकर मौज-मस्ती करते हैं। तरह-तरह के रंग-बिरंगे सामान खरीदते हैं। मेले में बच्चे मचलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि गधों का भी मेला लगता है। चौंक गए न! यह मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रत्येक वर्ष देव उठनी एकादशी पर गधों का मेला लगता है। जी हां! शायद यह सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। बताया जाता है कि यह मेला देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक लगता है। यहां बड़ी संख्या में पशु पालक गधे को बेचने और खरीदने आते हैं। इस मेले की विशेषता है कि यहां दांत देखकर गधों की कीमत तय की जाती है। वैसे तो यह मेला पांच दिन लगता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार बढ़ भी जाता है और तो और इस मेले में गधों के नाम भी अनोखे ही होते हैं वो भी फिल्मी नायक-नायिका के नाम पर। सलमान, शाहरुख, ऐश्वर्या, जैकलिन, शबनम और शबाना व अन्य फिल्मी सितारों के नाम इसमें शामिल हैं। ये नाम तो फिल्मी सितारों के हैं, लेकिन ये तो गधे व खच्चर हैं। हजारों की कीमत में गधे बिकने व खरीदने की ये परम्परा बरसो से चली आ रही है।

प्रत्येक वर्ष यहां दूर-दूर से व्यापारी गधों व खच्चर की खरीदारी के लिए इस मेले में आते हैं। प्रतिवर्ष यहां मप्र के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र प्रांतों के व्यापारी पशुओं की खरीदी करने आते हैं। विशेष बात यह है कि आयु व दांत के हिसाब से गधों की कीमत लगाई जाती है। इस मेले में आने वाले व्यापारी बताते हैं कि यहां पर सैकड़ों की संख्या में यह जानवर देखने को मिलेंगे, इनकी कीमत इनके दांत देख कर लगाई जाती है। चार दांत वाले की कीमत लगभग 15000 से शुरू होती है और दो दांत वालो की कीमत 8000 से होती है।

गधे पालक बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा से पहले यह मेला वर्षों से आयोजित होता आ रहा है और यह परम्परा प्रजापत समाज द्वारा निभाई जाती है।

अब रसोई में खाना बनेगा एथेनॉल से

क्या आपने कभी सोचा था कि पेट्रोल में मिलने वाला एथेनॉल एक दिन आपकी रसोई का ईंधन भी बन जाएगा? सरकार अब यही तैयारी कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय घरेलू खाना पकाने के लिए एथेनॉल को वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन बनाने पर काम कर रहा है। प्रस्तावित नीति के तहत भविष्य में एलपीजी के साथ एथेनॉल आधारित कुकिंग स्टोव का प्रयोग बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल योजना परीक्षण और नीति निर्माण के चरण में है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक एथेनॉल कुकिंग पॉलिसी का मसौदा सितम्बर तक तैयार हो सकता है। अंतिम निर्णय सुरक्षा परीक्षण, सरकारी मंजूरी और नीति लागू होने के बाद ही होगा। इसके बाद ही लोगों को एथेनॉल को घरेलू कुकिंग ईंधन के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

एक गांव ऐसा भी

क्या प्लास्टिक कचरा भी किसी गांव की पहचान बदल सकता है? उत्तर प्रदेश के हाथरस का राजपुर इसका जवाब है। प्रियंका तिवारी की पहल से यह गांव प्लास्टिक मुक्त बनने की ओर बढ़ा। यहां 'कूड़ा लाओ, पैसे पाओ' अभियान शुरू हुआ, प्लास्टिक बैंक बनाए गए और सिंगल-यूज प्लास्टिक का प्रयोग सड़कों के निर्माण में किया जाने लगा। आज राजपुर साफ-सुथरे वातावरण और बेहतर कचरा प्रबंधन की मिसाल बन चुका है।

अल्पना ग्राम – भारत का बेस्ट टूरिज्म विलेज

क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है, जहाँ हर दीवार एक कलाकृति हो? त्रिपुरा का अल्पना ग्राम अपनी पारम्परिक अल्पना कला के लिए पूरे देश में विख्यात है। यहां मिट्टी के घरों की दीवारों पर सफेद रंग से बनी खूबसूरत डिजाइन्स पूरे गांव को ओपन-एयर म्यूजियम जैसा बना देती हैं। इसी अनोखी पहचान के लिए भारत सरकार ने इसे 'बेस्ट टूरिज्म विलेज' का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। यह कला सिर्फ सुंदरता नहीं, प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश भी देती है।

मेधावी विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत

पुणे (प्रतिनिधि)। केशव माधव विश्वस्त निधि की ओर से विगत दिवस इस वर्ष दसवीं की परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले 40 मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार, गुणगौरव एवं नकद पुरस्कार वितरण कार्यक्रम एरंडवणे स्थित छत्रे सभागृह में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्वेनगर संघचालक एवं ज्ञानदा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष उदयन पाठक ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छत्रपति संभाजी भाग के भागसंघचालक अनिल व्यास की मुख्य उपस्थिति थी। समाज में आर्थिक सहायता करने की भावना रखने वाले अनेक हाथ हैं, लेकिन यह सहायता योग्य एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचना आवश्यक है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति के लिए शैक्षणिक क्षेत्र की केशव माधव विश्वस्त निधि यह संस्था पिछले अनेक वर्षों से सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना से यह प्रशंसनीय कार्य कर रही है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालय जीवन में उच्च लक्ष्य धारण करने चाहिए, उसके लिए कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है, उक्त वक्तव्य पदार्थ विज्ञान के अभ्यासक एवं मार्गदर्शक हरिभाऊ धोंडो गोखले ने कही। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रमुख अतिथि हरिभाऊ गोखले का प्रकाश देशपांडे ने, उदयन पाठक का स्वागत कविता शेंडे ने तथा अनिल व्यास का अरविंद देशपांडे ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। केशव माधव संस्था के विविध उपक्रमों एवं सेवा कार्यों की जानकारी सचिव अरविंद देशपांडे ने दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि संस्था प्रतिवर्ष दसवीं, बारहवीं में उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार आयोजित करती है। कार्यक्रम का सूत्र संचालन प्रशांत कुलकर्णी ने किया। वंदे मातरम् गीत के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने में केशव माधव के अध्यक्ष रवींद्र जावळेकर, सचिव अरविंद देशपांडे, विश्वस्त कविता शेंडे, अमोल जोशी, योगेश देशपांडे, योगेश कुलकर्णी, प्रकाश देशपांडे, संजय वळसंगकर, प्रशांत कुलकर्णी, श्रीकांत पुराणिक ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक आदि उपस्थित थे।

दिव्यांग कल्याणकारी संस्था में कृत्रिम अवयवों का वितरण

श्री सत्य साई दिव्यांग जनसेवा व श्री सत्यसाई सेवा संगठन पश्चिम महाराष्ट्र की ओर से और सक्षम पुणे महानगर के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अवयवों का वितरण किया गया। पंद्रह दिन पहले जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों के आवश्यक कृत्रिम अवयवों के लिए माप लेने का काम दिव्यांग कल्याणकारी संस्था में चल रहा था। 30 और 31 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से सभी माप लिए गए दिव्यांग व्यक्तियों को उनके आवश्यक कृत्रिम अवयव वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल यानी सक्षम संस्था के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीरंग जी बिजूर, वानवडी के सामाजिक कार्यकर्ता विनायक रवंदाळे, दिव्यांग कल्याणकारी संस्था के कार्याध्यक्ष एडवोकेट मुरलीधर कचरे, श्री सत्य साई सेवा संगठन की लक्ष्मी राव, सुचित्रा देवरे व नरेश हिराणी की उपस्थिति में उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर कुछ दिव्यांग बच्चों व व्यक्तियों को कृत्रिम अवयव बिजूर के हाथों वितरित किए गए। सम्पूर्ण पुणे जिला व महाराष्ट्र के अन्य जिलों से लाभार्थी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्रसंचालन व अतिथियों का परिचय संस्था की अधीक्षिका धनश्री बेके ने किया। सभी लाभार्थियों के नाश्ते व भोजन की व्यवस्था दिव्यांग कल्याणकारी संस्था द्वारा की गई।

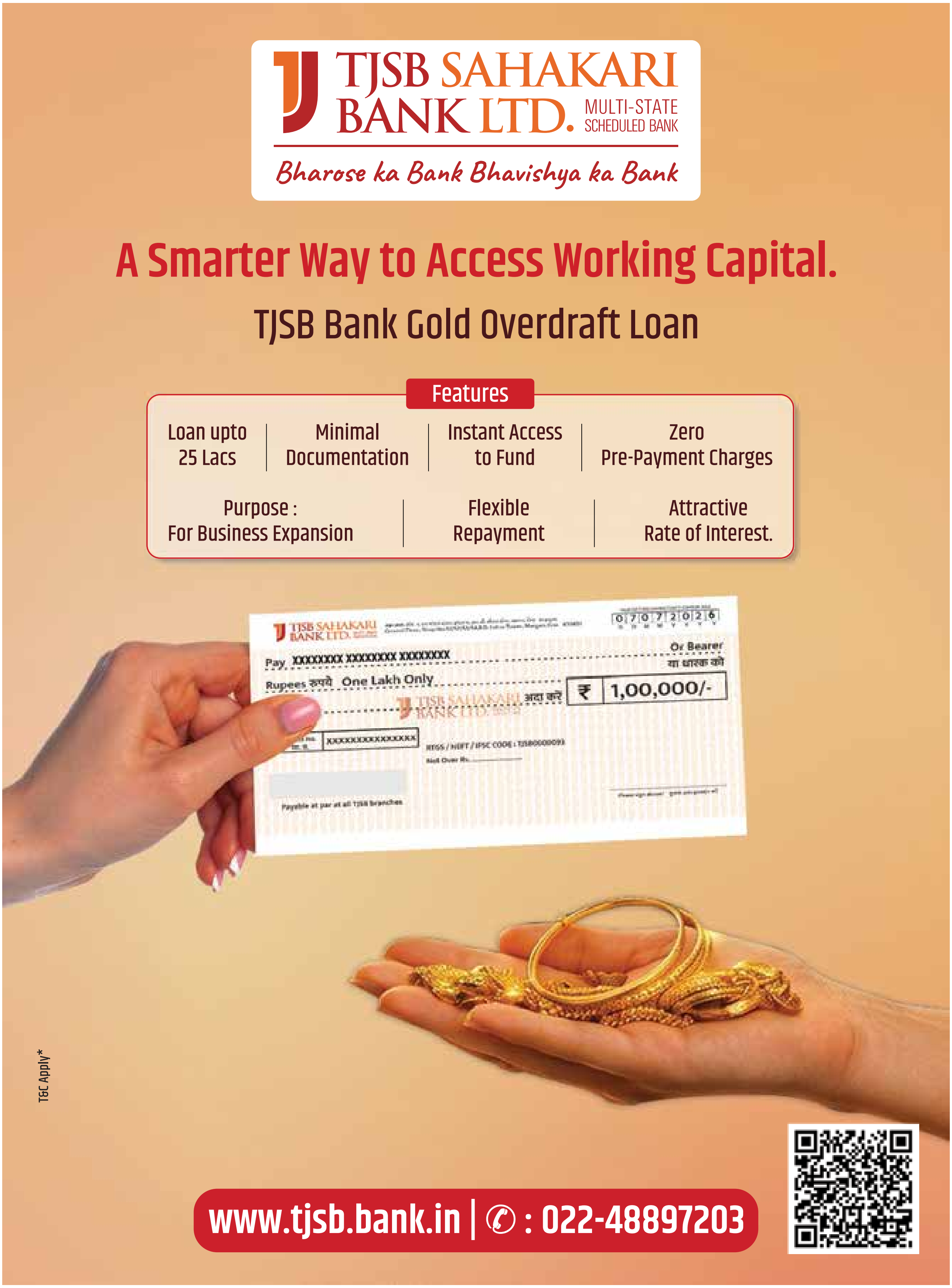
TJSB SAHAKARI BANK LTD.
MULTI-STATE SCHEDULED BANK
Bharose ka Bank Bhavishya ka Bank
A Smarter Way to Access Working Capital.
TJSB Bank Gold Overdraft Loan
Features
Loan upto 25 Lacs
Minimal Documentation
Instant Access to Fund
Zero Pre-Payment Charges
Purpose : For Business Expansion
Flexible Repayment
Attractive Rate of Interest.
TJSB SAHAKARI BANK LTD.
Pay XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Or Bearer
या धारक को
Rupees रुपये One Lakh Only
अदा करें
₹ 1,00,000/-
Payable at par at all TJSB branches
T&C Apply*
www.tjsb.bank.in | ✆ : 022-48897203